

FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला वित्तौड़गढ़

बनाम

किरम मुकदमा- पत्थरगढी नं. सन 202

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर २ अहकाम मुकदमा जु हुक हुक की नम्बर की तारीख ३ मुकदमा
२३-२-२३	<p>प्रार्थी की ओर से वकील श्री <u>मंगलवाट गिरीश्वरराव</u> ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत मय नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जा बाद जाच पेरा हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>सक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत इस आराय का प्रस्तुत किया कि नौजा <u>मंगलवाट</u> पटवार मण्डल <u>मंगलवाट</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर <u>3949/210</u></p> <p>रकबा <u>0.1600</u> हैक्टर/बीघा भूमि स्वयं के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नहीं है। तथा विपक्षीय आराजी के पडोसी है प्रार्थी ओर विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अनिलेख का अवलोकन किया गया, वहस सुनी गई। प्रार्थी जैर वहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को <u>1000</u> - अक्षर <u>एक</u> हजार रुपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आवेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शा के अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त में देखल दिये नौजा <u>मंगलवाट</u> पटवार मण्डल <u>मंगलवाट</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर <u>3949/210</u></p> <p>रकबा <u>0.1600</u> है0/बीघा भूमि की पत्थरगढी मुकममल तौर पर की जावे।</p> <p>पत्थरगढी पालना प्रतिवेदन दिनांक <u>02/3/23</u> तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली हो।</p> <p>पत्रावली फौसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

